कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांकः 2686 / 15—1 दिनांक, बुलन्दशहर, 15 मार्च, 2017।

अल्पकालीन निविदा

महामहिम श्री राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बुलन्दशहर वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 में बांस ट्रीगार्ड हेतु दिनांक 22.03.2017 की सांय 2:00 बजे तक निविदायें सीधे टैण्डर बॉक्स/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के पते पर आमंत्रित की जाती है। निविदा से विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्यदिवस में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर निकट नई तहसील बुलन्दशहर से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा उसी दिन (दिनांक 22.03.2017) को सांय 4:00 बजे खोला जायेगा। निविदा दाता चाहें तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है। लिफाफे के ऊपर बासं ट्रीगार्ड हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। सामग्री की दरें पृथक—पृथक देनी होगी।

क0सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी	टैण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	बांस के ट्रीगार्ड बनवाने हेतु एक वर्ष के अन्तर्गत सीजन्ड बांस क्रय करना—		रेंज कार्यालय, बुलन्दशहर	33000	500	29.03.2017
	4' लम्बाई के 8 बांस प्रति ट्रीगार्ड	14800 नग				
	5'.6" लम्बाई के 2 बांस प्रति ट्रीगार्ड	3700 नग				
2	बांस के ट्रीगार्ड बनवाने हेतु लकडी की फंटी क्रय करना—					
	आम की लकडी की 16 फंटी प्रति ट्रीगार्ड साइज (1'.6" लम्बी X 2" चौडी 1/2" मोटाई)	29600 नग				
3	बांस के ट्रीगार्ड बनवाने की लेबर प्रति ट्रीगार्ड	1850 नग				
4	बांस के ट्रीगार्ड पर लोहे की 9"X6" की प्लेट मय हरा, लाल पेन्ट जिसमें वन विभाग, बु0वि0प्रा0 का नाम लिखकर ट्रीगार्ड पर कील से ठोककर लगाकर देना।	1850 नग प्लेट				

टैण्डर की शर्त

1— कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0—7 में अंकित है। यदि आपूतिकर्ता समय सीमा के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति नही करता है, तब जमानत की धनराशि जब्त कर टैण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

2— कॉलम संख्या—3 में दी गयी सामग्री की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

क्रमशः.........2/—

MAR-5-2017

3– सामाग्री की आपूर्ति के उपरान्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय पर ट्रीगार्ड का निर्माण वन क्षेत्राधिकारी, बुलन्दशहर के देख रेख में निर्धारित मॉडल के अनुसार करना होगा। मॉडल क्षेत्रीय वन अधिकारी बुलन्दशहर के कार्यालय में किसी भी दिवस में देखा जा सकता है।

4– उपरोक्त क्रम सं0 01 से 04 तक की मदों हेतु एक ही टैण्डर में दरें दी जायेगी अन्यथा टैण्डर स्वीकार न होगा।

5– टैण्डर फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 16.03.2017 से 21.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 तक क्रय किये जा सकते है। (राजकीय अवकाश को छोडकर)

6– टैण्डर से संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

7– निर्धारित जमानत की धनराशि सामग्री के कुल मूल्य से 10 प्रतिशत जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, सी0डी0ए0 या पोस्ट ऑफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हो, टैण्डर स्वीकृति के पश्चात जमा करनी आवश्यक होगी।

8– स्वीकृत टैण्डर में दी गयी दरें दिनांक 31.03.2017 तक मान्य होगी।

9– सामग्री हेतु प्रदत्त दर के ऊपर शैलो टेप अवश्य चिपकाया जाये तथा निविदा में दी गयी दर में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जाये, अन्यथा निविदा की दर को अमान्य किया जा सकता है।

10– टैण्डरदाता को टैण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो निविदा नोटिस के कॉलम सं0 5 में अंकित है को एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में प्रभागीय निदेशक, बुलन्दशहर वन प्रभाग बुलन्दशहर के पदनाम के निरूपित हो संलग्न करना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्ट मनी के टैण्डर स्वीकार नही किया जायेगा।

11– टैण्डरदाता का पंजीकरण किसी तकनीकि विभाग में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

12– लिफाफे के बाहर मोटे अक्षरों में बांस ट्रीगार्ड हेतु निविदा सूचना लिखी होनी चाहिए।

13– उपरोक्त निर्धारित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के आधार पर ही बांस ट्रीगार्ड की आपूर्ति करनी होगी।

14– टैण्डरदाता को टैण्डर के साथ अपनी फर्म का व्यापार कर/आयकर रजिस्ट्रेशन संख्या एवं निर्धारण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

15– अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बतायें किसी भी टैण्डर को स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

16– टैण्डरदाता के भुगतान से उस समय लागू आयकर, ब्रिकीकर तथा स्टाम्प डयूटी की कटौती भुगतान के समय लागू दरों पर उनके बिल से कर ली जायेगी।

17– किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, मेरठ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

18– निविदा तकनीकि बिड (Technical Bid) एवं वित्तीय बिड (Financial Bid) के रूप में अलग–अलग लिफाफों में प्रेषित करनी होगी। पहले तकनीकि बिड को खोला जायेगा, जिसके अनुसार बाद में वित्तीय बिड को खोला जायेगा। यदि तकनीकि बिड अस्वीकार होगी तब वित्तीय बिड स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलंदशहर

शेष.....3/–

संख्या 2686 / 18 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

2— अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0 इन्दिरानगर, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)

3— मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

4— मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।

5— वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

6— जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

7— समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

8— सचिव, विकास प्राधिकारी, बुलन्दशहर।

9— जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर।

10— एन0आई0सी0 बुलन्दश्हार को बेब साईड पर अपलोड करने हेतु।

11— उप प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर।

12— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।

~~13— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर।~~

14— नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलंदशहर

MAR-5-2017